

04/2020 प्रदलार - अमरी देवी आदि

दिनांक	आज्ञा पत्र
11.2.22	<p>पत्रावली पेशा / क्लीक डाय पत्र 39 वास्तु कर्म डा. एन 09 R 9 CPC दिनांक 16.2.22 को पेशा है। /srb/</p>
16.2.22	<p>पत्रावली पेशा / क्लीक डाय पत्र 39 वास्तु कर्म डा. एन 09 R 9 CPC दिनांक 12.3.22 को पेशा है। /srb/</p>
12.3.22	<p>पत्रावली आजा / सधरीय लोक अदालत के पेशा हुई / पत्राकार लोक अदालत के पेशा हुई है। पत्र: 102/सधरीय व्यापारण के कर्म काशी बुधवार दिनांक 23.3.22 को पेशा है। /srb/</p>
	<p>सदस्य लोक अदालत बैंच जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर</p>
	<p>अध्यक्ष लोक अदालत बैंच जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर</p>
23-3-22	<p>पत्रावली पेशा: अपील/रेस्पॉण्डेंट के अधिवक्ता ने जाहिर किया है कि यह अपील धारा 223 में पारित आदेश के विरुद्ध धारा 225 में प्रस्तुत की गई है। इस प्रकरण में मूलवाद का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है इसे खारिज किया जाये। चुकी विचारण न्यायालय में मूलवाद खारिज हो चुका है अतः यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है। फलस्वरूप अपील को प्रभावहीन होने से खारिज की जाती है। निरीय न्याय से इन लोक अदालत सुनार होकर 23.3.22 है। /srb/</p>